न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 32/2022

1– श्री रामधन पुत्र स्व0 श्री भोलू
2– श्री श्रवण पुत्र स्व0 श्री भोलू (मृतक) जरिये वारिसान
2/1– श्री जयसिंह
2/2– श्री नारसिंह
2/3– श्री मुकेश
पुत्रवण स्व0 श्री श्रवण
2/4– मधु पुत्री स्व0 श्री श्रवण
2/5– प्रेम पत्नि स्व0 श्री श्रवण
समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम हरपुरा, तहसीलअरांई, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट्स*

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत दादिया जरिये :–
1– सुबिता कंवर राव सरपंच ग्राम पंचायत दादिया
2– श्री भुवाना
3– श्री घीसा
दोनों पुत्रवण श्री गोपी
4– श्री बन्ना पुत्र श्री चतुर्भुज
5– श्री गोमा पुत्र श्री छोगा
6– श्री गोपाल पुत्र श्री देवा
7– श्री रघुनाथ पुत्र श्री रामकरण
समस्त निवासीगण ग्राम दादिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर
8–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई

.....रेस्पोन्डेन्ट्स

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री रामदेव गुर्जर, वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 की ओर से
3. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

–: आदेश :–

दिनांक –29.11.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 41/2021, उनवान आम जनता ग्राम पंचायत दादिया बनाम रामधन में पारितनिर्णय दिनांक 22.02.2022 की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा ग्राम दादिया वर्तमान ग्राम हरपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 223 रकबा 2.4917 हैक्टर भूमि को चरागाह दर्ज करने हेतु नामान्तरकरण

अपर कलक्टर
अजमेर

संख्या 513 भर कर बाद भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच के तहसीलदार, अरांई के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार अरांई द्वारा पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 04.03.2022 से नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 04.03.2022 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गए बन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम दादिया हाल हरपुरा तहसील अरांई स्थित आराजी चौसाला खसरा संख्या 223 भू–संशोधन खसरा संख्या 223/1 रकबा 15–08–00 बीघा किस्म बारानी प्रथम पर अपीलान्ट संख्या 1 व 2/1 से 2/5 के पिता श्री श्रवण पुत्र भोलू सम्वत 2027 से काबिज काश्त चले आ रहे थे। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.06.1984 को उक्त आराजी दोनों भाई श्री रामधन व श्री श्रवण पुत्र भोलू को नियमन की गई। श्रवण पुत्र भोलू का स्वर्गवास होने से अपीलान्ट संख्या 1 व श्री श्रवण के वारिसान लगातार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। भूमि एकीकरण जमाबन्दी सम्वत 2019 के अनुसार वाद ग्रस्त आराजी के चौसाला खसरा संख्या 223 कुल रकबा 30–09–00 बीघा बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है तथा चौसाला जमाबन्दी में भी खसरा संख्या 223 रकबा 30–09–00 बीघा बिलानाम काबिल काश्त भूमि दर्ज है व पड़त एक साल अंकित है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2021 से 2024 के अनुसार आराजी में काश्त मय जिन्स दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2034 से 2037 में भूमि बिलानाम दर्ज होकर कॉलम संख्या 41 में नोट दर्ज है "इस भूमि में 15–10–00 बीघा भूमि गैर खातेदारी की खसरा संख्या 220 में भू–संरक्षण कार्य में समान रकबा में परिवर्तन किया तथा बाकी रकबा 14–19–00 बीघा बिलानाम रही, जो चरागाह में घोषित हुई" इससे स्पष्ट है कि आराजी पर नियमन के पूर्व से ही अपीलान्ट्स काबिज काश्त चले आ रहे थे व आराजी रकबा 14–19–00 बीघा बिलानाम रही जिसको चरागाह में घोषित होना अंकित किया गया है, शेष रकबा 15–10–00 बीघा भूमि अपीलान्ट्स की नियमनशुदा आराजियात है जो गैर खातेदारी में अंकित होना दर्ज किया गया है। इसके उपरान्त उक्त आराजियात दिनाक 21.06.1984 को नियमन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 524 रामधन, श्रवण पुत्रवण भोलू के नाम भू–संशोधन खसरा संख्या 223/1 रकबा 15–08–00 बीघा गैर खातेदारी में दर्ज की गई। उक्त आराजियात चौसाला खसरा संख्या 223 रकबा 30–09–00 बीघा के दौरान भू–संशोधन मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वर्किंग खसरा संख्या 223/1 रकबा 15–08–00 बीघा अपीलान्ट्स की गैर खातेदारी की भूमि रही एवं खसरा संख्या रकबा 00–02–00 बीघा व खसरा संख्या 223/3 रकबा 14–19–00 बीघा चरागाह में दर्ज कर दी गई। तत्पश्चात बन्दोबस्त विभाग द्वारा वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2041 में नियमनशुदा आराजी को गलत रूप से चरागाह दर्ज करते हुए चरागाह में तथाकथित रूप से घोषित आराजी 223/3 रकबा 14–19–00 बीघा को सिवायचक अंकित कर दिया जबकि अपीलान्ट रामधन व श्रवण पुत्रगण श्री भोलू के नाम वर्किंग जमाबन्दी में खसरा सख्या 223/1 रकबा 15–08–00 बीघा का नियमन होना भी अंकित है। इसके पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2042 से 2045 व उसके बाद लगातार उक्त आराजी इन्ही के नाम बारानी–प्रथम के रूप में दर्ज है किन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा मुर्तिब प्रथम जमाबन्दी सम्वत 2041 में अपीलान्ट्स की नियमनशुदा आराजी गलत रूप से चरागाह अंकित कर दिये जाने के कारण ग्राम दादिया हाल हरपुरा के

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

6/10/22 7/10/22 " " 10/22 1/22 " 1/22 1/22 22

आपराधिक प्रवृत्ति एवं असामाजिक तत्वों द्वारा आम जनता ग्राम पंचायत दादिया के नाम से आराजियात चरागाह होना अंकित कर नियमन निरस्त कराने हेतु अपीलान्ट्स के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 पेश किया। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल, राज0 अजमेर के समक्ष स्थानान्तरण याचिका संख्या 2528/2021 पेश हुई जिसमें निर्णय पारित होकर पत्रावली सुनवाई हेतु अतिरिक्त कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष प्रकरण संख्या 41/2021 से प्रस्तुत हुई। इनके द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 22.02.2022 से अपीलान्ट्स के पक्ष में किये गये नियमन आदेश दिनांक 21.06.1984 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील सख्या 114/2022 रामधन बनाम आम जनता दादिया मान0 संभागीय आयुक्त, अजमेर के न्यायालय में पेश की गई। प्रकरण में स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी जाकर आदेश दिनांक 04.04.2022 से स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 22.02.2022 की पालना व प्रभाव आगामी तारीख पेशी तक स्थगित किये जाने के आदेश पारित हुए। विवादित आराजी बाबत स्थगन आदेश प्रभावी होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील प्रस्तुती की मियाद गुजारे बिना व बिना इजराय प्रार्थना पत्र के अवैधानिक रूप से विवादित आराजियात चरागाह अंकित करते हुए आक्षेपीय नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया। उन्होने आगे कथन किया कि अतिरिक्त कलक्टर, भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 22.02.2022 पश्चात अपील प्रस्तुत करने की मियाद 60 दिवस निर्धारित थी एवं इससे पूर्व आदेश की पालना नहीं की जा सकती थी, इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर एवं मियाद अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निर्णय के 9 दिन पश्चात ही आक्षेपित आदेश पारित कर दिया जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है। आदेश की पालना बिना इजराय कार्यवाही के की गई है जबकि अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष इजराय हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है। माननीय संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रकरण संख्या 114/2022 के संलग्न प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस दिनांक 28.03.2022 को समाअत की गई थी एवं वरवक्त बहस वकील रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा यह उजागर नहीं किया गया था कि आदेश दिनांक 22.02.2022 की पालना हो चुकी है, यह तथ्य धोखा कारित करने की गरज से छिपाया गया जबकि नामान्तरकरण दिनांक 04.03.2022 को ही तस्दीक किया जा चुका था जिसकी उन्हे पूर्ण जानकारी थी। बहस उपरान्त आदेश दिनांक 22.02.2022 की पालना एवं प्रभाव आदेश दिनांक 04.04.2022 से स्थगित कर दिया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आक्षेपीय नामान्तरकरण को निरस्त कर अमल दरामद को तर्क करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं कर अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण यथावत रखने की मंशा जाहिर कर दी गई जबकि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की क्रियान्विति व पालना किये जाने का विधिक दायित्व अधीनस्थ न्यायालय का था। वकील अपीलान्ट्स का कथन है कि यह न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील प्रस्तुत करने की अवधि तक अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की पालना नहीं की जानी चाहिये थी किन्तु नैतिक मूल्यों के विपरीत आदेश होने के 10 दिन के भीतर ही अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। अपीलान्ट्स विवादित आराजियात पर गत 50 वर्षों से काबिज काश्त चले आ रहे हैं, जिनसे कभी भी कब्जा नहीं लिया गया एवं न ही अपीलान्ट्स को मौके से बेदखल किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

भी कब्जा प्राप्त करने का कोई अंकन नहीं है। बिना कब्जे के नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता व पंजीकृत दस्तावेज निष्पादित होने के पश्चात मौके का भौतिक सत्यापन होने पर ही नामान्तरकरण तस्दीक किया जा सकता है। प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के समस्त प्रावधानों को दरकिनार कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण संख्या 513 दिनांक 04.03.2022 निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अपीलान्ट्स द्वारा तथ्य छिपाकर व झूठे तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है। आक्षेपीय नामान्तरकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 22.02.2022 की पालना में तस्दीक किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध मान0 संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष अपील विचाराधीन होने के फलस्वरूप अपील निराधार, क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार से परे है। उनका कथन है कि वकील अपीलान्ट्स द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र पर दौराने बहस उभयपक्ष उपस्थित होने का अंकन किया गया है जबकि केवल केवियटकर्ता/रेस्पो0 संख्या 2 के अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर आदेश पारित किया गया है तथा अन्य रेस्पोन्डेन्ट्स की तलबी शेष है। इस प्रकार मान0 संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा पारित उक्त आदेश अंतरिम आदेश है एवं मूल अपील विचाराधीन है। अपील के अंतिम निर्णय तक राजस्व रेकॉर्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना संभव नहीं है क्योंकि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 22.02.2022 की पालना में मान0 न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 04.04.2022 के पूर्व ही अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक होकर राजस्व रेकॉर्ड/जमाबन्दी में अमल दरामद हो चुका है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के समक्ष जवाब स्थगन प्रार्थना में अंकन करते हुए आक्षेपित नामान्तरकरण व जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की जा चुकी है। इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश Inefficacious (बेकार/निष्प्रभावी) हो चुका है। उक्त आदेश की पालना करना कानूनन सम्भव नहीं है। इस प्रकार विधि द्वारा Operation of Law के तहत विधि का परिपेक्ष्य है कि – इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि सम्भागीय आयुक्त के समक्ष अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र धारा 81 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ही प्रस्तुत किया जा सकता है व किया जावेगा। "81 Power of stay execution of orders of lower Court.-(1) If an appeal is admitted, the appellate authority may, pending the result of the appeal, direct the execution of the orde appealed from to be stayed.
(2) A Revenue Court or officer passing any order may direct the execution or such order to be stayed at any time before the expiry of the period prescribed for appeal, if no appeal has been filed.
(3) If execution of any order is stayed under sub-section (1) or sub-section (2)] such security may be taken or conditions imposed as the appellate authority Revenue Court or officer thinks fit."

धारा 81 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलीय न्यायालय केवल अपीलाधीन निर्णय को स्थगित कर सकता है, अन्यथा कोई आदेश देने में सक्षम नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर0एल0डब्ल्यू0 (1) 2006 पेज 449 पर न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित कर स्थगन आदेश व अस्थाई

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

निषेधाज्ञा को Differentiate करते हुए निर्णित किया है कि दोनों ही अलग–अलग प्रकार के आदेश हैं।

"CPC Order 41 Rule 5 – Difference between 'stay' and 'Injuction' – Explained-held-An order of injuction is generally issued to a party and it is forbidden from doing certain acts but the party must have kowledge of the injuction-The injuction order not being addressed to the court, if the court proceeds in contravention of the injuction order, the proceeding are not a nullity – stay order is addressed to the court and prohibits it from proceeding further, as soon as the court has knowledge of the order it is bound to obey it' अपीलान्ट्स द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 04.04.2022 की आड़ में अपील प्रस्तुत की गई है जो कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश नहीं है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जिस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, उसी न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश बाबत चाराजोही किया जाना न्यायोचित है। अपीलान्ट्स सद्भाविक नहीं होकर भू–माफिया गिरोह के व्यक्ति हैं जो ग्राम की चरागाह भूमियों पर कब्जा कर हड़पने का अवैधानिक कृत्य करते हैं एवं केवल गांव वालों को हैरान व परेशान करने की नीयत से अपील प्रस्तुत की गई है। उन्होने कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत किया गया था जिसमें अपीलान्ट्स द्वारा गलत, निराधार व अवैधानिक आक्षेप लगाकर मान0 राजस्व मण्डल राज0, अजमेर के समक्ष स्थानान्तरण याचिका संख्या 2528/2021 पेश की गई। याचिका में पारित निर्णय की पालना में अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत होकर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर न्याय व नियम के तहत आदेश पारित किया गया है। वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 का आगे कथन है कि अपीलान्ट्स द्वारा अवैधानिक रूप से गलत तथ्यों के आधार पर चरागाह भूमि में आवंटन/नियमन करवाया गया है। वादग्रस्त आराजी चरागाह सिवायचक भूमि है एवं ग्राम के पशुओं के चराई के उपयोग में ली जाती है जो किसी प्रकार का वैध हक अर्जित होने योग्य भूमि नहीं है। ऐसी भूमियों पर किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार सृजित नहीं किये जा सकते। जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 08.02.1974 की अनुपालना में तहसीलदार किशनगढ द्वारा बहामी हस्तान्तरण नामान्तरकरण संख्या 182 दिनांक 18.05.1978 तस्दीक किया गया है, जिसके पुश्त भाग में अंकित है कि "आज तारीख 18.05.1978 मुकाम किशनगढ अतः आदेश है कि नामान्तरकरण आराजी खसरा नम्बर 221 रकबा 8 बीघा, खसरा नम्बर 223/1 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा (अपीलाधीन आराजी) एवं खसरा नम्बर 223/2 रकबा 2 बिस्वा कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदारी का लगान 27 रूपये 10 पैसे करके चारागाह भूमि में दर्ज करना स्वीकार है" उक्त आराजी के बदले जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 08.02.1978 की अनुपालना में ग्राम दादिया हाल हरपुरा खसरा संख्या 220 में से रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि चरागाह में से निकालकर खातेदारी बहक श्री रामधन व श्रवण पिता भोलू कोम जाट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 183 दिनांक 18.05.1978 को स्वीकार किया गया। इस प्रकार जिला कलक्टर, अजमेर के आदेशों की पालना में नामान्तरकरण संख्या 182 से रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि चरागाह में हस्तांतरण करते हुए इसकी एवज में नामान्तरकरण संख्या 183 से चरागाह भूमि में से 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि की खातेदारी प्रदान की गई, जिसका नामान्तरकरण स्वीकृत होकर वर्तमान में खातेदारी इन्द्राज है। जिसके मिन नंबर 274/220, 276/220, 277/220, 275/220, 282/220, 283/220 व 284/220 कायम हुए हैं। हस्तांतरण नामान्तरकरण संख्या 182 व 183 का उल्लेख गिरदावरी सम्वत 2030, 2031 व 2032 के विशेष कॉलम एवं

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

जमाबन्दी सम्वत 2041 में नोट अंकित है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी भूमि का आवंटन/नियमन करने के लिये उस पर नियमन से पूर्व का लगातार कब्जा काश्त होना आवश्यक है किन्तु अपीलान्ट्स के नाम गिरदावरी अथवा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे पूर्व का कब्जा सिद्ध होता हो। नियमन आदेश दिनांक 21.06.1984 से आज दिवस तक कोई कब्जा काश्त नहीं है। विवादित आराजी राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि होने पर भी गलत व विधि विरूद्ध नियमन किया गया जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार के प्रकरण में निर्णित किया जा चुका है कि ऐसी आराजियात को पुनः पूर्व की स्थिति में किया जाना आवश्यक है।

वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि रामधन व श्रवण पुत्रगण भोलू के पक्ष में नियमन आदेश करीबन 36 वर्ष पूर्व का है एवं इस समय की वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2041 में भूमि राजस्व रेकॉर्ड में चरागाह दर्ज है। बिना सक्षम अधिकारी के भूमि की किस्म परिवर्तन किये बिना नियमन आदेश किया गया है जो विधि विरूद्ध है। रेस्पो0 सख्या 1 से 7 द्वारा इस न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र नियम 14(4) में तहसीलदार अरांई द्वारा दिनांक 09.10.2020 को प्रस्तुत बिन्दुवार जवाब/रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि "वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2041 में चरागाह के खाते दोनों में लिखा हुआ है खसरा नम्बर 223/1 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी में गोला करके "चारागाह में गया" लिखा हुआ है एवं जवाब के पैरा संख्या 12 में अंकित किया गया है कि राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार नियमन से सम्वत 2076 तक उक्त खसरा नम्बर 223/1 वर्तमान खसरा नम्बर 223 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा पर कोई फसल काश्त नहीं की गई थी" इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर नियमन से पूर्व व पश्चात कोई काश्त नहीं की गई है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 141 सी0पी0सी0 के तहत अन्तिम आदेश व डिक्री को अधीनस्थ न्यायालय के निरस्त करने पर इजराय के द्वारा परिवर्तन, परिवर्धन किया जा सकता है एवं अन्तिम वाद के निर्णय व डिक्री के द्वारा ही परिवर्तन किया जाना सम्भव है। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान आर0बी0जे0 2014 पेज 505 व आर0बी0जे0 2020 पेज 333 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया। मान0 संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा कोई अन्तिम निर्णय पारित नहीं किया गया है जबकि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा नियम 14(4) के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 22.02.2022 को आदेश पारित किया गया है जिसकी इजराय करना आवश्यक नहीं है।

अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट्स क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार से परे होने के कारण निरस्त की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सख्या 513 दिनांक 04.03.2022 यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 22.02.2022 की अनुपालना में स्वीकृत किया गया है जिसका राजस्व रेकॉर्ड/जमाबन्दी में अमल दरामद हो चुका है। हालांकि उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष अपील संख्या 114/2022 रामधन बनाम आम जनता दादिया पेश की गई है जो वर्तमान में विचाराधीन है एवं अपील में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 04.04.2022 के पूर्व ही अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक होकर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जा चुका है। जिसके कारण पारित स्थगन आदेश दिनांक 04.04.2022 Inefficacious (प्रभावशून्य/निष्प्रभावी) हो चुका है। मान0 न्यायालय का उक्त आदेश अंतरिम आदेश है व मूल अपील विचाराधीन है। अपील के अंतिम निर्णय तक राजस्व रेकॉर्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना विधिसंगत नहीं है। विवादित आराजी की किस्म चरागाह है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणियों के अन्तर्गत आती है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी प्रकट आये हैं कि जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 08.02.1974 की अनुपालना में तहसीलदार किशनगढ द्वारा बहामी हस्तान्तरण नामान्तरकरण संख्या 182 दिनांक 18.05.1978 तस्दीक किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 221 रकबा 8 बीघा, खसरा नम्बर 223/1 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा (अपीलाधीन आराजी) एवं खसरा नम्बर 223/2 रकबा 2 बिस्वा कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदारी से चारागाह भूमि में दर्ज किया गया। साथ ही उक्त आराजी के बदले जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 08.02.1978 की अनुपालना में ग्राम दादिया हाल हरपुरा खसरा संख्या 220 में से रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि चरागाह में से निकालकर खातेदारी बइक श्री रामधन व श्रवण पिता भोलू कोम जाट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 183 दिनांक 18.05.1978 को स्वीकृत हुआ है। नामान्तरकरण कार्यवाही एक समरी कार्यवाही (Fiscal Proceeding) मात्र है जिससे किसी व्यक्ति अथवा खातेदार के हक व अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। आक्षेपीय नामान्तरकरण न्यायालय निर्णय के आधार पर स्वीकृत किया गया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है। अपीलान्ट्स को इस अपील के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। अपील क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के परे होने से संधारण योग्य नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट्स सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 29.11.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर
अपर कलक्टर,अजमेर
अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर